संख्या-07/2017/2086/41-2016-78 यो0/2016

प्रेषक,

नवनीत सहगल,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 03 जनवरी, 2017

विषय- पर्यटन काम्प्लेक्स, सैफई, जनपद इटावा में मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-732/6-1-1(778)/2016, दिनांक 17-08-2016 एवं पत्र सं0-1233/6-1-1(778)/2016, दिनांक 29-11-2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पर्यटन काम्प्लेक्स, सैफई, जनपद इटावा में मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण कार्य हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा गठित आगणन रू0 4835.77 लाख के सापेक्ष व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.10.2016 के कार्यवृत्त से सम्बन्धित निदेशक, व्यय वित्त समिति, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग के अर्धशासकीय पत्र सं0 358/प्रा0र0मू0प्र0/16, दिनांक 10.11.2016 द्वारा परीक्षणोपरान्त रू0 4188.76 अनुमोदित की गयी है। अतः व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत के अनुक्रम में उपर्युक्त कार्य हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए उक्त कार्य हेतु रू0 41,88,76,000.00 (रूपये इकतालीस करोड अट्ठासी लाख छियत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान सं0-44 के लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-पर्यटन अवसंरचना-102-पर्यटक आवास स्थान- 03-पर्यटन काम्प्लेक्स, सैफई, जनपर इटावा में मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य में उपलब्ध धनराशि से प्रथम किस्त के रूप अनुमोदित निर्माण लागत का 40 प्रतिशत धनराशि अर्थात रू0 16,75,50,400.00 (रूपये सोलह करोड पचहत्तर लाख पचास हजार चार सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृति धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/सेन्टेज चार्ज देय नही होगा। कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे आवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(2) प्रस्तर-2 में स्वीकृति धनराशि का उपयोग करने के पूर्व महानिदेशक, पर्यटन द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(3) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथारिटी से स्वीकृत करा लिया जायेगा।

(4) प्रयोजना में प्रस्तावित सी0सी0टी0वी0 की आवश्यकता, औचित्य, स्पेसिफिकेशन एवं लागत हेतु महानिदेशक, पर्यटन विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाय। यह समिति सी0सी0टी0वी0 की आवश्कयता, औचित्य, स्पेसिफिकेशन एवं लागत का परीक्षण कर स्वयं संतुष्ट हो लेगी तथा यथावश्यकता शासन का अनुमोदन भी प्राप्त किया जायेगा। प्रायोजना में सी0सी0टी0वी0 हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आंकलित लागत रू0 25.00 लाख की सीमा के अन्तर्गत उक्त समिति जो लागत संस्तुत करेगी, इस संस्तुत लागत की सीमा तक प्रायोजना की लागत संशोधित मानी जायेगी। प्रायोजना की संशोधित लागत हेतु प्रायोजना को पुनः व्यय वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(5) प्रयोजना में डी0जी0 सेट, ट्रान्सफारर्मर, सी0सी0टी0वी0 एवं लिफ्ट की स्थापना हेतु प्रस्तावित लागत कोटेशन/बाजार दर पर प्रस्तावित की गयी है इन प्रयुक्त दरों को प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, उ0प्र0 के स्तर पर इन्डीकेटिव दरों मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। प्रभाग का मत है कि क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर से लागत से अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः महानिरेशक, पर्यटन द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाना सुनिश्चित कराया जाय।

(6) प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, उ0प्र0 द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर प्रशासकीय विभाग द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्रापत कया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(7) प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि व्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(11) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त निर्माण कार्य के अन्तर्गत सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के रख-रखाव/अनुश्रवण हेतु उचित व्यवस्था रहे।

(12) प्रश्नगत योजना सम्बन्धी आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(13) प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये शर्तों एवं प्रतिबन्धों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पर्यटन अवसंरचना-102-पर्यटक आवास स्थान-03-पर्यटन काम्प्लेक्स, सैफई, जनपर इटावा में मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पत्र संख्या 12/ई-7/दस-2017 दिनांक 03 जनवरी, 2017 में प्राप्ति उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

नवनीत सहगल
प्रमुख सचिव।

संख्या-07/2017/2086(1)/41-2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त कानुपर/जिलाधिकारी, इटावा।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, इटावा।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
7- महाप्रबन्धक (इटावा अंचल) उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 सैफई इकाई- कानपुर।
8- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, कानपुर।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4
10- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।